(2)

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

//अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक 22 अगस्त, 2013

क्रमांक एफ–13–23/2012/आ0प्र0/1–3 : इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1/सा.प्र. वि/आ.प्र. दिनांक 1–8–1996 की निर्देश कण्डिका–1 एवं 2 के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तथा परिपत्र क्रमांक एफ–7–2/96/आ.प्र./एक दिनांक 12–3–1997 की निर्देश कण्डिका–1 एवं 2 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के अस्थाई तथा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों को पदाभिहित किया गया था और विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3 दिनांक 19–7–2012 की कण्डिका 4 (अ) तथा 4 (ब) के द्वारा उपर्युक्त प्रयोजनों हेतु पदाभिहित सक्षम प्राधिकारियों के आदेश के विरूद्ध अपील करने हेतु अपीलीय प्राधिकारियों को पदाभिहित किया गया था।

2/ राज्य शासन, एतदद्वारा, उपर्युक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 1–8–1996 की निर्देश कण्डिका–1 एवं 2, विभागीय परिपत्र दिनांक 12–3–1997 की निर्देश कण्डिका–1 एवं 2 तथा विभागीय परिपत्र दिनांक 19–7–2012 की कण्डिका 4 (अ) तथा 4 (ब) को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (ख) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्राधिकारियों को, अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत अस्थाई तथा स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र (जाति प्रमाण–पत्र) जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी तथा धारा 2 के खण्ड (क) के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित प्राधिकारियों को, उक्त सक्षम प्राधिकारियों के आदेशों के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी घोषित करता है :–

क	प्रमाण–पत्र का विवरण	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	राज्य शासन के स्त्रोतों से उपलब्ध कराई जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं के लिए यथा राज्य छात्रवृत्ति, प्री–मैट्रिक शैक्षणिक संस्थाओं एवं आश्रम तथा छात्रावासों में प्रवेश हेतु अस्थाई प्रमाण –पत्र	(1) सरपंच, ग्राम पंचायत (2) वार्ड पार्षद, नगर पंचायत,नगर पालिका, नगर पालिक निगम	—

-2-

क	प्रमाण–पत्र का विवरण	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
(2)	कमांक (1) में वर्णित प्रयोजन से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए अस्थाई प्रमाण–पत्र जो 6 माह के लिए वैध होगा	(1) तहसीलदार (2) अतिरिक्त तहसीलदार (3) नायब तहसीलदार	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
(3)	स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र	(1) डिप्टी कलेक्टर (2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अपर कलेक्टर / जिला कलेक्टर
		(3) अपर कलेक्टर (4) कलेक्टर	अपर आयुक्त / संभागीय आयुक्त

3/ उप जिलाध्यक्ष के प्राधिकृत अधिकारी होने की स्थिति में जिलाध्यक्ष के द्वारा उप जिलाध्यक्षों के क्षेत्राधिकारों को विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के. आर. मिश्रा)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क. एफ–13–23/2012/आ0प्र0/1–3 :: नया रायपुर, दिनांक 22/08/ 2013
प्रतिलिपिः–

सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. शासन के समस्त विभाग,
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,
3. समस्त संभागीय आयुक्त,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,
5. समस्त जिलाध्यक्ष,
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)

7. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
8. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर।
9. मुख्य सचिव, के अवर सचिव मंत्रालय, छत्तीसगढ़ नया रायपुर।
10. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
11. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट, रायपुर
12. माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिव के निज सचिव/निज सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर।
13. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, निमोरा, नया रायपुर।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
15. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
16. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,छत्तीसगढ़ रायपुर।
17. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
18. आयुक्त, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
19. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
20. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
21. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
22. उप सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर,बिलासपुर,छ.ग.।
23. अध्यक्ष, जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,रायपुर छ.ग.।
24. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट **www.cg.nic.in/gad** पर अपलोड हेतु।
25. उप संचालक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, राजनांदगांव की ओर राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु प्रेषित है। कृपया प्रकाशित राजपत्र की 500 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध करावें।

अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग